न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी सरदार समन्द, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी सरदार समन्द, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सरदार समन्द, तहसील सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल वर्मा

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.01.2020

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत सरदार समन्द के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22.11.1980 मिसल संख्या 62/1978–79 पारित आदेश दिनांक 22.11.1980 की पालना में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.01.1981 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरदर समन्द का रेकर्ड तलब किया गयां अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने पुराने कब्जा सुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सरदार समन्द में सरपंच महोदय के समक्ष पेश किया, जिस पर सरपंच महोदय ने उल्लेख किया है कि आज यह आवेदन पत्र जालमसिंह ने पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर करके फाईल खोली जावे। पूर्व प्रार्थना पत्र पर जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह के ही हस्ताक्षर व नाम अंकित थे, बाद में ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच की मिलीभगत से मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/2 का नाम जोड़ा गया है। मिसल दिनांक 06.11.1978 को कायम की गई, उसमें भी प्रार्थी जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह का ही नाम है। समस्त कार्यवाही यथा नक्शा बनाने की कार्यवाही, आबादी भूमि के निरीक्षक के प्रपत्र अनुसार तैयार निरीक्षण रिपोर्ट, आपत्तियां आमन्त्रित करने का नोटिस तथा गवाहो के लिए गए बयान में सभी में जालमसिंह के नाम का ही उल्लेख है। यहां तक की राशि भी जालमसिंह द्वारा ही जमा कराई गई। लेकिन पंचायत द्वारा अप्रार्थी से मिलावट कर उसका नाम प्रार्थना पत्र में बाद में जोड़ते हुए, यहां तक कि उनके द्वारा जारी पट्टे में भी अप्रार्थी मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह का 1/2 हिस्सा बताते हुए नाम जोड़ दिया, जो न्यायोचित नहीं है, साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर कूटरचना करना भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का जो नाम पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.01.1981 में ग्राम पंचायत द्वारा जालमसिंह के साथ बाद में मनोहरसिंह जोड़ा गया है। उसके निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थीगण आज अनुपस्थित है। जिससे उनके द्वारा दिनांक 24.07.2013 को प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मनोहरसिंह व प्रार्थी जालमसिंह दोनों के ही द्वारा दिया गया था। जालमसिंह ने प्रार्थी को विश्वास में लेकर ग्राम पंचायत के साथ कार्यवाही की तथा दोनों जालमसिंह व मनोहरसिंह के नाम पट्टा जारी किया, मौके पर दोनों का ही कब्जा चला आ रहा है। केवल अक्षरो के छोटे–बडे व उपर नीचे होने से यह निगरानी पेश की गई है। जो काबिल खारिज है। इस संबंध में दोनों पक्षो के मध्य एक सिविल वाद संख्या 21/2010, प्रार्थना पत्र 22/2010 तथा न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही मुकदमा संख्या 31/2010 लम्बित होना बताया, जबकि वकील प्रार्थी द्वारा सिविल वाद संबंधी तथ्यों को छुपाया गया है।

वर्तमान में अप्रार्थी के जवाब में वर्णित सिविल वाद का निस्तारण किसके हक में हुआ, यह अस्पष्ट है तथा जब उक्त प्लॉट में टावर लगाने हेतु सहमती अप्रार्थी द्वारा नहीं दी, तो पट्टा खारिज कराने हेतु यह निगरानी पेश की गई है। जो निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी जालमसिंह द्वारा पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/2 नाम बाद में जोड़ा जाना प्रतीत होता है, क्योंकि सरपंच द्वारा फार्म प्रस्तुत करने पर ही स्पष्ट अंकन किया गया है कि " आज यह आवेदन पत्र जालमसिंह ने पेश किया, जो रजिस्टर दर्ज करके फाईल खोली जावे" फिर सरपंच के हस्ताक्षर है। मिसल की प्रथम आदेशिका दिनांक 06.11.1978 में भी जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत साकिन सरदार समन्द का ही नाम अंकन है, उसमें मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह का नाम नहीं है। आदेशिका दिनांक 22.11.1980 में भी जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह का ही पुराना कब्जा प्लॉट बताया गया है। नक्शा मौका बनाया उसमें भी जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह का नाम तथा नरपतसिंह जो जालमसिंह के पिता है, उनके हस्ताक्षर है तथा आबादी भूमि की मौका निरीक्षक रिपोर्ट भी जालमसिंह पुत्र नरपतसिहं के नाम की बनी हुई तथा आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय हेतु जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया, वह भी इसी नाम से है, उसमें भी मनोहरसिंह पुत्र जब्बरसिंह का नाम दर्ज नहीं है। बयानों में अलबता एक में नरपतसिंह का कब्जा बताया है, जो जालमसिंह के पिता है तथा दूसरे बयान में जालमसिंह का ही कब्जा बताया गया है। जो हरिसिंह के है, दोनो ही ब्यानों में जालमसिंह के पिता तथा जालमसिंह का कब्जा बताया गया है जो जालमसिंह का पुस्तैनी कब्जा सूदा प्रतीत होता है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही जालमसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत साकिन सरदार समन्द के नाम से होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में मात्र प्रार्थना पत्र एवं पट्टे में ग्राम पंचायत द्वारा मनोहरसिंह का नाम बाद में जोड़ना स्पष्टतया सिद्ध होने से न्यायोचित नही माना जा सकता है। वर्तमान में अप्रार्थी के जवाब में वर्णित सिविल वाद का निस्तारण किसके हक में हुआ, यह अस्पष्ट है तथा प्रस्ताव रजिस्टर में भी जिसके पक्ष में प्रस्ताव लिया है उसके नाम का अंकन नही होकर मात्र मिसल संख्या का ही अंकन है, उसमें भी कांट–छांट है। जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर निगरानी ग्राम पंचायत सरदार संमद के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 22.11.1980 तथा मिसल

जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 62/78–79 में पारित आदेश दिनांक 22.11.1980 की पालना में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.01.1981 को निरस्त किया जाकर इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सरदार समंद जैर निगरानी पट्टे की भूमि का पक्षकारान् के मध्य सिविल न्यायालय में चल रहे विवादों के निर्णय तथा उपरोक्त आराजी पर कब्जे के मध्य नजर बाद जांच नियमानुसार पुनः पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सूनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत के रेकर्ड के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली